संख्या-139/2026/580/41-2-2026-CN-1942256

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 13 मार्च**, 2026

विषय:-जनपद आगरा स्थित कोठी मीना बाजार की गाटा संख्या-560 में स्थित भवन तथा उससे सम्बद्ध 2946.75 वर्गमीटर भूमि अर्जन किये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक पर्यटन (ईको) के पत्र संख्या-501169/6-1-1/(आगरा/भूमि)/2025-26 दिनांक 12.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद आगरा स्थित कोठी मीना बाजार की गाटा संख्या-560 में स्थित भवन तथा उससे सम्बद्ध 2946.75 वर्गमीटर भूमि अर्जन किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 2,96,88,231.00 (रूपये दो करोड़ छियानवे लाख अट्ठासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) को जिलाधिकारी आगरा के निर्वतन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनपद आगरा स्थित कोठी मीना बाजार की गाटा संख्या-560 में स्थित भवन तथा उससे सम्बद्ध 2946.75 वर्गमीटर भूमि अर्जन किये जाने हेतु शासनादेश सं0-341/2025/1556/41-2-2025-CN-1942256, दिनाक 29.07.2025 द्वारा रू0 9,46,88,231.00 (रू० नौ करोड छियालीस लाख अठ्ठासी हजार दो सौ इक्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 1,50,00,000.00 (रू० एक करोड़ पंचास लाख मात्र) की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-413/2025/2666/41-2-2025-CN-1942256, दिनांक 19.12.2025 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000.00 (रू० पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि अर्थात कुल धनराशि रू0 6,50,00,000.00 (रू० छ: करोड़ पचास लाख मात्र) को जिलाधिकारी आगरा के निवर्तन पर रखी गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 2,96,88,231.00 (रूपये दो करोड़ छियानवे लाख अट्ठासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) को व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 29.07.2025 एवं 19.12.2025 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा। निदेशालय द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । J

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 2,96,88,231.00 (रूपये दो करोड़ छियानवे लाख अट्ठासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4. जिलाधिकारी, आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । J

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । J